

2166

8-1
04/05/26

संख्या-

/2026-III(2)/2026-57(एम०एल०ए०)/2017

ई0पत्रावली- 90778

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)/Haldwani

CAO(P)

21/5/26

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

SJO-I

EE(P-1)

Jally
06/05

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 22 अप्रैल, 2026

विषय: Construction of 75 m span Steel Truss Bridge Kathgodam to Ranibagh Section of National Highway no. 87 (109) under Honorable Chief Minister Announcement No. 550/2019 in Bhimtal Assembly Constituency Dist. Nainital at Bhimtal, Distt. Nainital.(विस्तृत आगणन)(EDPR ID-9465)की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन (प्रोजेक्ट आई०डी०-9465) जिसके अंतर्गत 75 मीटर स्पान स्टील ट्रस सेतु के निर्माण की लागत ₹1179.81 लाख है, के सापेक्ष शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 11,77,93,000/- (₹ ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख तिरानव्वे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु ₹ 10,000/- (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- निविदा स्वीकृत किए जाने पर योजना की लागत में होने वाली वचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।
- पहुंच मार्ग के निर्माण के समय ड्रेन का उचित Gradient देते हुए Proper Outfall सुनिश्चित कर लिया जाय।
- योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।
- कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु विभाग/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शैड्यूल आफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/276791/2025 ई0 पत्रावली संख्या- 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य

- प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।
- xi. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को विरही भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
 - xii. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशामी अभियन्ता का होगा।
 - xiii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
 - xiv. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
 - xv. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - xvi. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 - xvii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - xviii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
 - xix. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - xx. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
 - xxi. कार्यस्थल में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय-समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-1/390903/2026, दिनांक- 27.04.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajendra Singh Patiyal
Date: 28-04-2026 (राजेन्द्र सिंह पतियाल)
10:07:21 संयुक्त सचिव

- संख्या एवं तददिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
 3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -022आवंटन आई डी-S26040220027
आवंटन पत्र दिनांक-28-APR-2026लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नये निर्माण कार्य04-जिला तथा अन्य सड़के
03-राज्य रोक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		0	10000	0	10000							
योग		0	10000	0	10000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com



पत्रांक-522/20याता(वित्तीय स्वीकृति)नियो-1/2026,

दिनांक- 08/मई/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,.....*E.S./न*.....।
- अधीक्षण अभियन्ता,.....*02*.....वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.....*देहरादून*.....।
- अधिशाली अभियन्ता,.....*TD*..... खण्ड, लोक निर्माण विभाग,.....*भारत*.....।
- आई०टी० सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

08/05/26
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून